

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.1/राज/पी/72/09/88।

भोपाल, दिनांक 26/6/09

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषय—व्याख्याता संवर्ग से हाईस्कूल प्राचार्य पद पर पदोन्नति एवं पदस्थापना हेतु काउन्सलिंग बाबत ।

उपयुक्त विषय में निर्देशानुसार व्याख्याता संवर्ग से हाईस्कूल प्राचार्य पद पर पदोन्नति एवं पदस्थापना हेतु काउन्सलिंग की प्रक्रिया पुनः अपनाई जाना है। व्याख्याता संवर्ग से प्राचार्य पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 28.1.2009 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाये गये व्याख्याताओं की जिलेवार सूची संलग्न है। सूची में अंकित व्याख्याता की पदस्थापना काउन्सलिंग के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया से की जाना है। काउन्सलिंग दिनांक 5.7.2009 को प्रातः 10:00 बजे शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उ.मा.वि. शिवाजी नगर भोपाल में आयोजित की गई है। अतएवं पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये व्याख्याताओं को दिनांक 5.7.2009 को आयोजित काउन्सलिंग में उपस्थिति हेतु दिनांक 3.7.2009 तक सूचना आपके माध्यम से दी जाना सुनिश्चित करें। काउन्सलिंग की प्रक्रिया हेतु निम्न जानकारियां आवश्यक है :-

1/ संचालनालय द्वारा व्याख्याता संवर्ग से प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर निम्नांकित दिनांक तक के व्याख्याताओं की प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर पदोन्नति की जा चुकी है :-

(1)	अनारक्षित प्रवर्ग	—	14.03.90
(2)	अनुसूचित जाति प्रवर्ग	—	31.12.03
(3)	अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग	—	31.12.03


आपके जिला अंतर्गत कार्यरत व्याख्याताओं में यदि उक्त तिथि के पूर्व के व्याख्याता यदि प्राचार्य हाईस्कूल पद पर पदोन्नति से वंचित रह गये हो तो उनका वर्ष 2001 से 2008 तक का गोपनीय प्रतिवेदन तथा ऐसे जिनका नाम व्याख्याता पदक्रम सूची में अंकित न हो तो पदक्रम सूची में नाम अंकित करने संबंधी पूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध करावे। तथा उनके वर्ष 2001 से 2008 के गोपनीय प्रतिवेदन भी दिनांक 2.7.2009 तक सहायक संचालक (स्था.1) के नाम से भेजना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करावें कि उक्त तिथि तक के कोई भी व्याख्यात प्राचार्य हाईस्कूल पद पर पदोन्नति हेतु वंचित नहीं है ।

2/ संचालनालय द्वारा शिक्षक संवर्ग से व्याख्याता पद पर (विषयमान से) पदोन्नति हेतु पूर्व में निर्धारित कट ऑफ़ डेट से पदोन्नति से वंचित रह गए हो तो उन्हें भी उपरोक्त प्रक्रिया के तहत दिनांक 7.7.09 को विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरीक्षित बैठक आयोजित की जाकर पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाए गए शिक्षकों को भी दिनांक 9.7.09 को विशेष

वाहक/दूरभाष द्वारा सूचित कर 11 एवं 12.7.09 को आयोजित होने वाली काउंसिलिंग में सम्मिलित जाने के संबंध में सूचना दी जाना सुनिश्चित करें ।

3/ काउंसिलिंग हेतु प्राचार्य, हाईस्कूल के रिक्त पद जो कि दिनांक 31.07.09 की स्थिति में हो उसकी प्रमाणित सूची दिनांक 03.07.09 तक संयुक्त संचालक, स्था-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।


उपरोक्त जानकारी प्राथमिकता के आधार पर भेजना सुनिश्चित करें ।


आयुक्त लोक शिक्षण
मध्य प्रदेश

पृ. क्रमांक/स्था.1/राज/पी/३२/०९/४४२
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 26/6/09

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्य प्रदेश की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।


आयुक्त लोक शिक्षण
मध्य प्रदेश